(दिनांक 28.03.2015 के एंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशनार्थ)

कर्मचारी चयन आयोग

परीक्षा की तिथि : 21.06.2015

अंतिम तिथि : 28.04.2015

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है "।

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक एवं के.औ.सु.ब.में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा , 2015

फा.सं. 3/2/2015-नी व यो-।। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों(के.स.पु.ब.) में उप निरीक्षक तथा **के.औ.सु.ब.में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती के लिए रविवार दिनांक 21 जून,2015 को परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-**

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक

यह वेतनबैंड 2 में 4200/- रूपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रूपए के वेतनमान वाला पद है और यह समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत है ।

दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक(कार्यपालक- पुरुष)

यह वेतनबैंड 2 में 4200/- रूपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रूपए के वेतनमान वाला पद है और यह दिल्ली पुलिस द्वारा समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत है ।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक

यह पद वेतनबैंड 2 में 2800/- रूपए के ग्रेड वेतन सहित 5200-20200रूपए के वेतनमान वाला है और इसे समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है

पद कोड (पद के लिए वरीयता आवेदन पत्र में दर्शायी जाए)

ए	दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक
बी	सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब) में उप निरीक्षक
सी	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) में उप निरीक्षक
डी	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब) में उप निरीक्षक
ई	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (भा.ति.सी.पु.ब.) में उप निरीक्षक
एफ	सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.) में उप निरीक्षक
जी	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) में सहायक उप निरीक्षक

अभ्यर्थियों को बाद में अपनी वरीयता को परिवर्तित/संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी । अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पदों की वरीयता ध्यानपूर्वक दर्शाएं ।

2. **रिक्तियाँ एवं आरक्षण : -**

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक की रिक्तियां

बल का नाम	श्रेणी	अना.	अपिव	अजा	अजजा	योग	सर्व योग	भू.पू.सै.
		ए	बी	सी	डी	ई(ए+बी+सी+डी)		ई का 10%
कें.रि.पु.ब.	पुरूष	104	55	31	15	205	221	22
	महिला	09	04	02	01	16		
सी.सु.बल	पुरूष	290	156	87	44	577	607	61
	महिला	15	08	05	02	30		
भा.ति.सी.पु.*	पुरूष	111	88	53	14	266	289	29
	महिला	09	08	05	01	23		
कें.औ.सु.ब.	पुरूष	244	130	72	36	482	536	54
	महिला	29	14	08	03	54		
स.सी.ब.	पुरूष	19	09	05	02	35	53	04
	महिला	10	04	03	01	18		
योग		**840**	**476**	**271**	**119**	**1706**	**1706**	**170**

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) में सहायक उप निरीक्षक की रिक्तियां

रैंक	श्रेणी	अना.	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै 10%
स.उ.नि./ कार्यपालक	पुरूष	502	267	148	74	991	110
	महिला	57	29	16	08	110	--
योग		559	296	164	82	1101	--

दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक(कार्यपालक)-पुरूष की रिक्तियां

श्रेणी	अना.	अपिव	अजा	अजजा	योग
खुली	42	35	06	01	84
भूपूसै	06	03	02	--	11
योग	48	38	08	01	95

टिप्पणी -I: के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक और के.औ.सु.ब. में सहा.उ.नि के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है ।

टिप्पणी-II: दिल्ली पुलिस में महिला उप-निरीक्षक(कार्यपालक) के पद की सीधी भर्ती के लिए कोई रिक्ति नहीं है ।

टिप्पणी-III: रिक्तियों की संख्या निर्देशात्मक हैं और इसमें किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है ।

2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/भूपूसै इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों एवं रिक्तियां सूचित करने वाले विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपलब्ध है ।

2.2 दिल्ली पुलिस में आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

2.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% कोटे में से 50% ऐसा कोटा निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा :-

(i) विशेष बल/ राष्ट्रीय सुरक्षा गारद(विशेष कार्रवाई समूह) में सेवा की हो ।

(ii) कमांडो कोर्स में "अर्हक अनुदेशक" अअ की ग्रेडिंग प्राप्त की हो ।

(iii) नौ सेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने विशेषीकृत कमांडो जैसी यूनिटों में काम किया हो ।

टिप्पणी-: यदि (i),(ii) और (iii) श्रेणियों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो अपूरित रिक्तियों को अन्य उपलब्ध भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा ।

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया ,मालाबी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है को, अनंतिम रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

4(क) आयु सीमा: दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक एवं के.औ.सु.ब.में सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए **20-25 वर्ष ।**

टिप्पणी I: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षकों के पद हेतु केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार है ।

टिप्पणी II: आयु सीमा की निर्णायक तिथि की गणना 01.01.2015 के अनुसार की जाएगी । अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

4(ख) गणना की तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए पात्र अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणी के लिए श्रेणी-कोड और आयु में उपलब्ध छूट :

कोड सं.	श्रेणी	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट**
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अ पि व	03 वर्ष
06	**समूह 'ख' एवं 'ग' पदों के लिए** भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
07	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
08	भूतपूर्व सैनिक (अजा/अजजा)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)

12	**<u>समूह 'ख' पदों के लिए</u>** **(i)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित)**जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	**(ii)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	**(iii)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
16	**<u>समूह 'ग' पदों के लिए</u>** **(i)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य)**जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष
18	**(ii)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष
20	**(iii)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(अनारक्षित)**।	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(अपिव)**।	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया **जम्मू व कश्मीर** राज्य के अधिवासी रहे हों **(अजा/अजजा)**।	10 वर्ष
24	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अनारक्षित)**	35 वर्ष की आयु तक
25	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अपिव)**	38 वर्ष की आयु तक
26	**विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अजा/अजजा)**	40 वर्ष की आयु तक
30	**<u>केवल दिल्ली पुलिस में खुली रिक्तियों के लिए विभागीय पुरूष अभ्यर्थी</u>** **(i)विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	30 वर्ष तक
31	**(ii)विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	33 वर्ष तक
32	**(iii)विभागीय अभ्यर्थी (अजा/अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	35 वर्ष तक

<u>टिप्पणी: I</u> ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र <u>नहीं</u> हैं । तथापि, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के लाभ का दावा करने की पात्रता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार होगी ।

<u>टिप्पणी: II</u> सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि नियमानुसार आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

<u>टिप्पणी: III</u> आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह अन्तिम

तिथि **(अर्थात 28.04.2015)** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा ।

टिप्पणी: IV भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है ।

टिप्पणी: V एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने **अंतिम तिथि को** संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को इस परीक्षा के माध्यम से विज्ञापित किए जा रहे पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा । अत: ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होनें पैरा 4 (ख) के अंतर्गत टिप्पणी-।।। में यथा उल्लिखित भर्ती के लिए इस तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, इसके लिए पात्र नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण 1: भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो । इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो; या

(iv) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात:-

(क) निरंतर मूर्त्त सेवा के पेंशनधारी,

(ख) सैनिक सेवा के कारण अक्षम हुए व्यक्ति; और

(ग) वीरता पुरस्कार विजेता

स्पष्टीकरण 2: संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात "भूपूसै" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपूसै. की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

टिप्पणी: VI केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में उपलब्ध छूट का लाभ दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए लागू नहीं है ।

टिप्पणी: VII राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचीबद्ध अन्य पिछड़ा वर्गों, परन्तु जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्र सूची में शामिल नहीं है के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अपिव प्रमाणपत्रों को केवल दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए आरक्षण और आयु में छूट के प्रयोजनों के लिए ही स्वीकार किया जाएगा ।

4(ग) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने / अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब** इन प्रमाणपत्रों की

संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय** मांग की जाएं । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस) स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों का प्रारुप संलग्न है । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे । **आयोग ने अंतिम तिथि के बाद लेकिन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर विहित प्रारूप में जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया है ।**

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/ भूपूसै /विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस) दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा ।

5. 01.01.2015 को अनिवार्य योग्यता

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष ।

(ख) केवल दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा के लिए नियत तिथि को पुरुष अभ्यर्थियों के पास हल्के मोटर वाहन(मोटर साइकिल एवं कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसैंस होना चाहिए, अन्यथा उन्हें शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नही होगी । तथापि, वह अभ्यर्थी जिसके पास हल्के मोटर वाहन(मोटर साइकिल एवं कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, के.स.पु.ब. के अन्य सभी पदों के लिए आवेदन कर सकता है ।

टिप्पणी- I : भारत के राजपत्र के दिनांक 08.04.1995 के अंक में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 01.03.1995 की अधिसूचना सं.44 के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद,इग्नू से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए । तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी-II: जिन अभ्यर्थियों ने **01.01.2015** को शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे **पात्र नहीं होंगे** तथा उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी-III : साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 जनवरी, 2015 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे स्नातक के सभी तीन वर्षों की अंक तालिकाएं/अनंतिम प्रमाण पत्र /स्नातक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी: IV : एनसीसी 'ख' अथवा 'ग' प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सम्यक अधिमान दिया जाएगा ।

6. <u>भुगतान का तरीका</u> :

(i) **<u>ऑफ-लाइन आवेदन:</u>**

अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान <u>केवल **" केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकटों (के.भ.शु.टि.)"**</u> के माध्यम से ही करना चाहिए । **के.भ.शु.** टिकटें देश के सभी डाकघरों के काउंटरों पर उपलब्ध हैं । ये भर्ती शुल्क टिकटें आवेदन पत्र में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए और इन भर्ती शुल्क टिकटों को जारी करने वाले किसी डाकघर के काउंटर द्वारा कार्यालय की **<u>तारीख युक्त मोहर</u>** से इस ढंग से **<u>निरस्त करा लेना चाहिए</u>** कि छाप अथवा निरस्तीकरण मुहर का कुछ अंश आवेदन पत्र पर भी पड़ जाए साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छाप बिलकुल स्पष्ट हो ताकि **परवर्ती चरण में जारी करने वाले डाकघर और तारीख को सफलतापूर्वक पहचाना जा सके** । भर्ती शुल्क टिकटों को डाकघर से निरस्त करा लेने के बाद अभ्यर्थी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करके अपना आवेदन पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दें । **के.भ.शु. टिकट** डाकघर द्वारा निरस्त न कराए जाने पर आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

(ii) **<u>ऑन-लाइन आवेदन:</u> ऑन-लाइन आवेदन भेजने वाले अभ्यर्थी अपेक्षित शुल्क को नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्डों अथवा डेबिट कार्डों के माध्यम से ऑनलाइन या भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से नकद भुगतान कर सकते हैं ।**

(iii) **महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है ।**

<u>टिप्पणी-I:</u> एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस **<u>नहीं</u>** किया जाएगा ।

<u>टिप्पणी-II:</u> के.भ.शु.टि./भा. स्टेट बैंक चालान जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा किसी भी अन्य तरीके से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार **<u>नहीं</u>** किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे तथा किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा ।

<u>टिप्पणी-III:</u> अभ्यर्थी कृपया यह नोट कर लें कि संबंधित डाकघर द्वारा ऊपर निर्दिष्ट तरीके से **टिकट निरस्त न कराने पर** उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, <u>अत: यह अभ्यर्थियों के हित में है कि वे संबंधित डाकघर से के.भ.शु.टिकट को निरस्त करा लें ।</u>

7. <u>परीक्षा केन्द्र</u>

अभ्यर्थी द्वारा अपने **<u>आवेदन-पत्र में स्पष्ट रुप से परीक्षा केन्द्र का अवश्य उल्लेख किया जाए ।</u>** अभ्यर्थी को अपना आवेदन केवल आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय में ही जमा करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र आता है । **आयोग के किसी अन्य क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।**

आवेदन पत्र **आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों** को भेजे जाने चाहिए, जैसा नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

क्र. स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	वह पता जहां आवेदन भेजने हैं
1.	**2.**	**3.**
1.	भागलपुर(3201), पटना(3206), मुजफ्फरपुर (3205), आगरा(3001), बरेली(3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), मेरठ(3011), वाराणसी(3013), इलाहाबाद (3003), गया(3203) लखनऊ(3010)	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002

2.	कोलकाता(4410), मिदनापुर(4413), पोर्ट ब्लेयर (4802), संबलपुर(4609), गंगटोक(4001), जलपाईगुड़ी (4408), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), रांची(4205), चिनसुरा(4405) सिलीगुड़ी(4415), बेहरामपुर(4403), मालदा(4412), कोंझरगढ़(4606), वर्धमान(4404)	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एम एस ओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बंगलोर(9001), तिरूवनन्तपुरम(9211), कोची(9204), त्रिसूर(9212), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), धारवाड़(9004), कोझीकोड (कालीकट) (9206)	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
4.	दिल्ली(2201), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), उदयपुर(2409), अजमेर(2401), अलवर (2402), श्रीगंगानगर(2408), देहरादून(2002), हलद्वानी(2003), अलमोड़ा(2001), हरिद्वार(2005)	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
5.	गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), ईटानगर(5001), डिब्रूगढ़(5102), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), इम्फाल(5501), शिलांग(5401), आइजोल(5701), कोहिमा(5302), अगरतला(5601),चूडाचाँदपुर(5502), तुरा(5402), ग्वालपाड़ा(5104), तेजपुर(5112), लखीमपुर (5109)	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफेड कम्प्लेक्स वेस्ट एन्ड ब्लॉक,लास्ट गेट, बेल्टोला बशिस्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
6.	हैदराबाद(8002), गुंटूर(8001), कर्नूल(8003), राजमुंदरी(8004), तिरूपति(8006), कोयम्बटूर(8202), चेन्नई(8201), मदुरै(8204), पुडुचेरी(8401), तिरूनेलवेली(8207), तिरूचिरापल्ली(8206), विशाखापट्नम(8007)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ई वी के संपत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
7.	औरंगाबाद (7202), मुम्बई(7204), कोल्हापुर(7203), नागपुर(7205),पणजी(7801), पुणे(7208), अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), नासिक (7207), अमरावती (7201) सूरत(7007)	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	अम्बिकापुर(6201), इंदौर(6006), जबलपुर(6007), जगदलपुर(6203), छिंदवाड़ा(6003), छत्तरपुर(6002), गुना(6004), मंदसौर(6010), झाबुआ(6008), खण्डवा(6009), रीवा(6012), रायपुर(6204), भोपाल(6001), ग्वालियर(6005), बिलासपुर(6202)	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
9.	जालंधर(1402),लेह(1005),चण्डीगढ़(1601) जम्मू(1004), श्रीनगर(जम्मू एवं कश्मीर)(1007), शिमला(1203), भटिण्डा(1401),हमीरपुर(1202),बारामूला(1002), अनन्तनाग(1001),राजौरी(1006), कारगिल(1008), डोडा(1009), अमृतसर(1404), पटियाला(1403)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3, भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017

टिप्पणी-I : किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव **सावधानीपूर्वक** करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में **उसे सही-सही दर्शाना चाहिए ।** आयोग केन्द्र में परिवर्तन के लिए केवल सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित आवेदनों पर ही विचार करता है यदि उन्हें संक्रियात्मक कारणवश किसी अन्य स्थान पर तैनात किया गया है ।

टिप्पणी-II: आयोग के पास यह अधिकार **सुरक्षित** है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी **अन्य** केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर **स्थानांतरित** कर दे ।

8. परीक्षा की योजना

लिखित परीक्षा(परीक्षा की तिथि 21.06.2015 पूर्वाह्न)

प्रश्नपत्र-।

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि / अनुमत्य समय
भाग-क	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	50	50	2 घंटे (प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)
भाग-ख	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी	50	50	
भाग-ग	संख्यात्मक अभिरुचि	50	50	
भाग-घ	अंग्रेजी परिज्ञान	50	50	

प्रश्नपत्र-।।(परीक्षा की तिथि 21.6.2015 अपराह्न)

विषय	अधिकतम अंक/प्रश्न	अवधि और समय
अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	200अंक/ 200 प्रश्न	2 घंटे (अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक)

इन दोनों प्रश्नपत्रों में **वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रकार** के प्रश्न होंगे । प्रश्नपत्र -। के भाग क,ख और ग के संबंध में **प्रश्न** अंग्रेजी तथा हिंदी में तैयार किए जाएंगे ।

ओ एम आर उत्तर पत्रक पर अंकित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी ।

टिप्पणी-।: यदि आयोग को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी ।

टिप्पणी-।।: अभ्यर्थियों को किसी प्रश्नपत्र(टेस्ट बुकलेट) का उत्तर देने के लिए मोबाइल फोन,कैलकुलेटर या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत साधन का प्रयोग करने की अनुमति **नहीं है ।** अत: अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन के अंदर **मोबाइल फोन,कैलकुलेटर या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत साधन** को नहीं लाना चाहिए । इन्हें अपने पास रखना चाहे इनका इस्तेमाल हो या न हो, परीक्षा में "अनुचित साधन का प्रयोग" करना माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए वारित किया जा सकता है और/अथवा उनके विरूद्ध आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है ।

टिप्पणी-।।।: आयोग इस परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र-। और प्रश्नपत्र-।। की उत्तर कुंजियों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा । उत्तर कुंजियों प्रदर्शित करते समय विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियां एवं दावे,यदि कोई है, की आयोग द्वारा विशेषज्ञों की मदद से यदि आवश्यक हुआ तो जांच की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

9 पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-।

(क) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना,स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला,कोडिंग एवं डिकोडिंग,विवरण निष्कर्ष,न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । यह विषय हैं : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी

वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतिकात्मक संक्रिया, उपनति, अंतराल अभिविन्यास, अंतराल विज्यूलाइजेशन, वैन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/ पैर्टन-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन, सूचीकरण,पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग, डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंत: स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य सह- विषय, यदि कोई हो तो ।

(ख) <u>सामान्य जानकारी :</u> इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जायेगें, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

(ग) <u>संख्यात्मक अभिरूचि :</u> इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृतो की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज , वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्थ, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

(घ) <u>अंग्रेजी परिज्ञान:</u> इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा ।

<u>प्रश्नपत्र ।।</u> <u>अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान:</u> इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जाँच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की (क्रिया, पूर्वसर्ग, उपपद इत्यादि का प्रयोग करके) पूर्ति, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य गठन, समानार्थक, विलोमार्थक, वाक्य पूरे करने, वाक्यांशों एवं शब्दों आदि के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि पर आधारित होंगे ।

<u>टिप्पणी 1:</u> *आयोग के पास अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार रिक्तियों और श्रेणीवार संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रश्नपत्र-। के प्रत्येक भाग में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा । केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग द्वारा प्रश्नपत्र-। में निर्धारित कट- ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हों को शारीरिक क्षमता परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा में बैठना अपेक्षित होगा ।*

<u>टिप्पणी 2 :</u> लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र-। में आयोग के विवेकाधिकार के अनुसार निर्धारित अर्हक अंक जिन अभ्यर्थियों ने प्राप्त किए हैं उन्हें ही शरीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.)/ शरीरिक मापदण्ड परीक्षा के लिए चुना जायेगा। प्रश्नपत्र-।। का मूल्यांकन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जायेगा जिन्होंने शा.क्ष.प./शा.म.प.में अर्हक प्राप्त की हो। प्रश्न पत्र-I तथा प्रश्न पत्र-II में संयुक्त तौर पर किए गए उनके प्रदर्शन पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

<u>टिप्पणी 3 :</u> अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में ऐसे किसी भी अनुचित ढंग के इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो उन्हें परीक्षा के लिए आगे विचार किए जाने के लिए अपात्र बना देगा और इससे वे भविष्य में आपराधिक अभियोजन के अलावा आयोग की परीक्षा से वारित भी हो जाएंगे ।

10. शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.) इस पद के लिए अनिवार्य है ।

टिप्पणी -I : अभ्यर्थियों को **शारीरिक क्षमता परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा** करानी होगी ।

10(क) शारीरिक मापदण्ड

पात्रता परीक्षाएं(सभी पदों के लिए)

अभ्यर्थियों की श्रेणी	लंबाई (सें.मी. में)	सीना (सें.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाकर
(i)केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 'सामान्य'	170	80	85
गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165	80	85
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5	77	82
(ii)केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य	157	-	-
गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	155	-	-
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	154	-	-

शारीरिक दक्षता (क्षमता) परीक्षा (शा.द.प.) (सभी पदों के लिए)

केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए

क) 16 सैकंड में 100 मीटर की दौड़

ख) 6.5 मिनट में 1.6 किमी. की दौड़

ग) 3 अवसरों में 3.65 मीटर लंबी कूद

घ) 3 अवसरों में 1.2 मीटर ऊंची कूद

ङ) 3 अवसरों में 4.5 मीटर गोला फेंक (16 पाउंड)

केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए

क) 18 सैकंड में 100 मीटर की दौड़

ख) 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़

ग) 3 अवसरों में 2.7मी.(9 फीट) लंबी कूद

घ) 3 अवसरों में 0.9मी.(3 फीट) ऊंची कूद

टिप्पणी :

1. महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की न्यूनतम माप की आवश्यकता **नहीं** होगी ।
2. उपर्युक्तानुसार लंबाई तथा सीने में छूट (यथास्थिति) **अनुबंध-VIII में यथा-निर्धारित प्रारूप में** जहाँ वह सामान्यत: रहता है उस जिले के सक्षम प्राधिकारी का **प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही** अनुमेय होगी ।
3. **"दिल्ली पुलिस में प्रारंभिक नियुक्ति के समय शारीरिक मापदंडों(लम्बाई/सीना) में एक बार प्रदान की गई छूट तब तक मान्य रहेगी, जब तक संबंधित व्यक्ति दिल्ली पुलिस में रहता है ।"**
4. ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मापदण्डों अर्थात् लम्बाई और सीने के माप में गैर-अर्हक घोषित किए गए हैं, वे यदि चाहें तो, शारीरिक क्षमता परीक्षण स्थल में उपस्थित अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं, अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी अन्य अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

10(ख) **वजन** : सभी पदों के लिए लंबाई के अनुरूप

10(ग) **चिकित्सा मापदंड** (सभी पदों के लिए)

दृष्टि :

बिना सुधारे हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दूर की न्यूनतम दृष्टि **दोनों आँखों में 6/6 तथा 6/9 होनी चाहिए ।** अभ्यर्थी के **घुटने मिले हुए, पैर सपाट, सूजी हुई नस** अथवा **आंखों में भेंगापन नहीं** होना चाहिए और उनकी रंग संबंधी उच्च दृष्टि होनी चाहिए ।

उन्हें **शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ** तथा कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए ।

10(घ) शा.क्ष.प. के कोई अंक नहीं होते हैं पर यह परीक्षा केवल अर्हक/निष्कासन स्वरूप ही होगी

टिप्पणी : । के.स.पु.ब. में पदों के लिए आवेदन कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के लिए शा.क्ष.प. देना अपेक्षित नहीं है । दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को भी शारीरिक क्षमता परीक्षा से छूट दी गई है । तथापि, सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है तथा सहायक उप-निरीक्षक/उप-निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्डों को पूरा करना होगा । उन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चिकित्सा मानदण्डों को भी पूरा करना होगा ।

टिप्पणी : ।। उन महिला अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा के समय गर्भवती होंगी क्योंकि वे शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग नहीं ले सकती । इस प्रकार की निरस्तता के विरुद्ध किसी प्रकार के अपील/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी :III **चिकित्सा परीक्षा** शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सा संबंधी जांच कें.स.पु.ब. के चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी भी केन्द्र/राज्य सरकारी अस्पताल अथवा औषधालय के श्रेणी -I सहायक सर्जन द्वारा की जाएगी । जो चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाए जाते हैं और लिखित परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त करते हैं तो उन्हें 100 अंकों के साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) में उपस्थित होना अपेक्षित होगा । जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सा आधार पर अनुपयुक्त पाया जाएगा, उन्हें इस स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा तथा वे 15 दिन की निर्धारित समय सीमा

के अंदर पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड से अपील कर सकते हैं । पुन:चिकित्सा बोर्ड/पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुन:चिकित्सा बोर्ड/पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध किसी अपील/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

अंतिम तौर पर चयनित अभ्यर्थियों को उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक के पद के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में निम्नलिखित सात बाधा स्पर्धाएं उत्तीर्ण करनी होंगी अन्यथा उन्हें बल में शामिल नहीं किया जाएगा :-

(i) लम्बवत बोर्ड के ऊपर कूदना ;
(ii) बोर्ड से रस्सी पकड़ते हुए कूदना ;
(iii) टार्जन स्विंग;
(iv) क्षैतिज बोर्ड पर कूदना;
(v) समानांतर रस्सी;
(vi) मंकी क्रॉल;
(vii) लंबवत रस्सी ।

11. लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र के उत्तर दर्शाने/लिखने होंगे ।

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो,भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा । अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट साधनों को छोड़कर कैल्क्यूलेटर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए, जिसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं हैं ।

यदि परीक्षा हॉल में किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वायरलेस संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी तथा जो भी आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, उन्हें 3 वर्षों तक आयोग की परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा ।

बहु-विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर प्रकार की उत्तर-पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट(अभ्यर्थी का कोना) में दिए गए अनुदेशों तथा ओ एम आर पत्रक/प्रश्नपत्रों पर दिए गए अनुदेशों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें । वेबसाइट पर मॉडल ओ एम आर पत्रक भी उपलब्ध है ताकि अभ्यर्थी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों का उचित तरीके से उत्तर अंकित करने का अभ्यास कर सकें ।

ओ.एम.आर. उत्तर-पुस्तिका के भाग 'क' और भाग 'ख' को केवल काले/नीले बॉल प्वाइण्ट पेन से ही भरा जाए ।

अभ्यर्थियों को ओ एम आर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम,अनुक्रमांक, टिकट संख्या, जन्मतिथि तथा टेस्ट फार्म संख्या संगत स्थानों पर सही-सही लिखना चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए मुहैया किए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगानी चाहिए । जिन उत्तर पुस्तिकाओं पर अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, टेस्ट फॉर्म संख्या और हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप तथा जिसमें ऐसे ब्योरों को उचित तरीके से शेड नहीं किया गया है तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें 'शून्य' अंक दिया जाएगा ।

12. चयन का तरीका:

लिखित परीक्षा और **साक्षात्कार** के बाद आयोग अखिल भारतीय योग्यता सूची तैयार करेगा और उस क्रम में आयोग द्वारा जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में अर्हक पाए जाते हैं उनकी आयोग द्वारा उपलब्ध अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक परीक्षा में शामिल किए गए पदों के लिए दिए गए विकल्प को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी ।

आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा । चूंकि विभिन्न पदों के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध

हैं, इसलिए पदों का आबंटन योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर किया जाएगा । अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानीपूर्वक अपने विकल्प दें । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

वशर्ते कि अजा, अजजा और अपिव के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । **ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा ।** आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, और अपिव श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारिक्षत श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए ।

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसे आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में वशर्ते कि वह अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो, लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाएगा । जहां तक भू पू सै के मामलों का संबंध है, आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए भू पू सै को आयु में कटौती अनुमेय है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता ।

टिप्पणी-I जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का आधार नहीं मिल जाता।

टिप्पणी-II परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, वशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों । यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

13. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

ऐसी स्थिति में जहां एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं तो बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा एक के बाद दूसरे तरीके को अपनाते हुए किया जाएगा :

लिखित परीक्षा में कुल अंक ।
दूसरे प्रश्न-पत्र में अंक ।
प्रथम प्रश्नपत्र में अंक ।
जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा ।
वर्णानुक्रम जिसमें कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी का पहला नाम आता है ।

14. आवेदन कैसे करें : आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही ऑनलाइन या पेपर/ऑफ-लाइन पर जमा किए जाएं । आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेशों के लिए **अनुबंध-IIक** को देखा जा सकता है ।

15. परीक्षा में प्रवेश:

सभी अभ्यर्थी जो **अंतिम तिथि** तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें **अनुक्रमांक** दिया जाएगा, जिसे अंतिम तिथि से **दो सप्ताह** के भीतर आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा । आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी

अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें । ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

परीक्षा के प्रवेश पत्र(प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को भेज दिए जाएंगे। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी साथ-साथ उपलब्ध होगी । यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है अथवा आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जहां अभ्यर्थी ने आवेदन भेजा है, की वेबसाइट से प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में असमर्थ होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए । (डाक प्रमाणपत्र के अंतर्गत भेजे गए आवेदनों के मामले में, संबंधित डाकघर की तारीख, मोहर स्पष्ट रूप से सुपाठ्य होनी चाहिए) । ऑन- लाइन आवेदन के मामले में, अभ्यर्थी के पास रजिस्ट्रेशन आई डी, एसबीआई चालान की प्रतिलिपि की ट्रांजेक्शन आईडी आदि होनी चाहिए । ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने संबंधी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा । आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र में मुहैआ किए गए स्थान में अपनी ई-मेल आई डी को लिखें ।

16. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (ओं) और साक्षात्कारों के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

17. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें कोई काट-छांट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। यदि ओ एम आर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उन्हें 'शून्य ' अंक दिए जाएंगे।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

- परीक्षा केन्द्र के परिसरों में **मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो** ।
- कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
- परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
- किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
- किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
- जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें काट-छांट की गई हो ।
- गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
- परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
- परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।

- परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
- परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।
- विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करने पर परीक्षा के लिए अपात्र होना ।
- भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है ।

18. वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रश्नपत्र-I एवं प्रश्नपत्र-II में ओ एम आर उत्तर पत्रक के पृष्ठ-I पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं लगाया है अथवा ब्यौरे जैसे नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या और टेस्ट फॉर्म संख्या को लिखा अथवा कोडबद्ध नहीं किया है अथवा घोषणा नहीं की है/ प्रमाणपत्र नहीं दिया है, को '**शून्य**' अंक दिए जाएंगे।

19. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस शहर/कस्बे के न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है और जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

20. आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेशों , आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेशों और आवेदन पत्र के ऑनलाइन भुगतान/उसे जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुबंध-I,II क और II ख देखने की सलाह दी जाती है ।

21. **<u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>**

1.	**इस परीक्षा हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष है** । इस परीक्षा में लिखित परीक्षा , **शारीरिक क्षमता परीक्षा,चिकित्सा परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है** ।
2.	आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए, पात्रता संबंधी संवीक्षा तथा अन्य पहलुओं की संवीक्षा (छानबीन) लिखित परीक्षा से पूर्व नहीं की जा सकेगी और इसलिए **अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार की जाएगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को भली-भांति देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इन पदों के लिए पात्र हैं ।** इस संबंध में प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रतियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से मांगी जाएंगी जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं । यदि लिखित परीक्षा के बाद संवीक्षा (छानबीन) करने पर यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा प्रमाणिक नहीं है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर (अस्वीकार) दी जाएगी और इस संबंध में **आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।**
3.	**अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में विद्यमान विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । यह विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट (<u>http://ssc.nic.in</u> और <u>http://ssc.online 2.gov.in</u>पर भी उपलब्ध है ।**
4.	**अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/भूपूसै श्रेणियों से संबंधित आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं । उनके पास अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए ।**
5.	**शारीरिक विकलांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र <u>नहीं</u> हैं ।**
6.	आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को निरन्तर सेवा की अवधि

	के संबंध में साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के समय अपने कार्यालय से विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व से कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि का होना चाहिए । उनके चयन होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति होने तक लगातार केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए ।
7.	**शुल्क:** एक सौ रुपए केवल **(100/-रुपए) ऑफलाइन आवेदनों के लिए केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के माध्यम से देय अथवा ऑनलाइन आवेदनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चालान अथवा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार शुल्क से छूट है ।**
8.	**अंतिम तिथि: 28.04.2015(सायं 5 बजे तक)** । असम,मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मण्डल, अंडमान निकोबार द्वीपो, लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों के मामले में **अन्तिम तिथि 05.05.2015 है । विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा । डाक विलम्ब के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।**
9.	केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा । एक से अधिक ऑन-लाइन आवेदनों के मामले में अंतिम आवेदन जिसके लिए भाग-I और भाग -II का पंजीकरण पूरा हो गया गया है को स्वीकार किया जाएगा । एक से अधिक ऑफलाइन आवेदनों के मामले में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अपने विवेक से उन आवेदनों में से कोई एक आवेदन स्वीकार करेंगे ।
10.	**परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो के मामलों की अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं 5(पाँच) वर्ष तक आयोग की परीक्षा से वारित करने सहित जैसा आयोग निर्णय ले ,आगे कार्रवाई की जा सकती है ।**
11.	**ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेद कर सकते हैं । ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन दी गई पंजीकरण संख्या आयोग से पत्राचार करने के लिए अपने पास रखनी चाहिए । उन्हें अपने आवेदन का प्रिंटआऊट आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है । ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भाग -I पंजीकरण के लिए 26.04.2015(सांय 05 बजे) और भाग -II पंजीकरण के लिए 28.04.2015(सांय 05 बजे) तक वेबसाइट** http://ssconline.nic.in **तथा** http://ssc.online 2.gov.in**पर उपलब्ध रहेगी ।**
12	**अभ्यर्थी अपना आवेदन भरने/प्रस्तुत करने के संबंध में, यदि कोई आवश्यकता हो तो , स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित "हैल्पलाइन" से संपर्क कर सकते हैं :-** **(i) कर्मचारी चयन आयोग (उ क्षे), नई दिल्ली** 01164715222, 01165021888, 01124363343,01124360840 **(ii) कर्मचारी चयन आयोग (म क्षे) इलाहाबाद** 05322460511, 05326541021 **(iii) कर्मचारी चयन आयोग (द क्षे) चेन्नै** 09445195946, 04428251139 **(iv) कर्मचारी चयन आयोग (प क्षे) मुम्बई** 09869730700, 07738422705 **(v) कर्मचारी चयन आयोग (पू क्षे) कोलकाता** 09477461228, 09477461229 **(vi) कर्मचारी चयन आयोग (म प्र क्षे) रायपुर** 09407921504, 09407921505

	(vii) कर्मचारी चयन आयोग (के क क्षे) बंगलोर 08025502520, 09483862020 **(viii) कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमो क्षे) चंडीगढ़** 09915509204, 09915509331 **(ix) कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वोत्तर क्षे) गुवाहाटी** 09207053500, 09707679564
13.	**अभ्यर्थियों** को परीक्षा केन्द्र में **अपनी पहचान** का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड इत्यादि को मूल रूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना **उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**
14.	यदि प्रवेश प्रमाणपत्र की आयोग की प्रति और/अथवा उपस्थिति पत्रक में स्कैन किया गया फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है, तो निरीक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन उनके फोटो पहचान पत्र(आई डी)के प्रमाण के साथ करना तथा प्रवेश प्रमाणप्रत्र की आयोग की प्रति और/अथवा उपस्थिति पत्रक पर, जैसी भी स्थिति हो,रंगीन फोटोग्राफ चिपकवाना अपेक्षित होगा । तद्नुसार, अभ्यर्थियों को, निरीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश प्रमाणपत्रों की आयोग की प्रति पर चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ साथ लाने चाहिए । फोटोग्राफ नहीं लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी

अनुबंध-।।क

विवरणिका

आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

आयोग अपनी सभी परीक्षाओं में मानक आवेदन पत्र प्रयोग करता है । आवेदन पत्र भरने से पहले अपने स्वयं के हित में परीक्षा की विज्ञप्ति में और नीचे भी दिए गए अनुदेशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ ले खाने अर्थात् ☐ में लिखने के लिए सिर्फ नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें ।

आवेदन पत्र में अधिकतर मदों के लिए अनुदेश दिए गए हैं जिसे खाने भरने से पहले सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए । जिन मदों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है, नीचे दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें ।

आवेदन पत्र में दिए गए प्रत्येक मदों को भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों को पढ़ें :-

कॉलम 1 और 2 : परीक्षा केन्द्र और कॉलम 2 केन्द्र कोड का नाम

परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-7 देखें

कॉलम 11 पदों के लिए वरीयता

अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता को सावधानीपूर्वक दर्शाना चाहिए ।

दिल्ली पुलिस (दि.पु.) में उप निरीक्षक
सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) में उप निरीक्षक
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के .औ .सु.ब.) में उप निरीक्षक
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के .रि .पु.ब.) में उप निरीक्षक
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (भा.ति.सी पु.ब.) में उप निरीक्षक
सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.) में उप-निरीक्षक
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के .औ .सु .ब.)में सहायक उप निरीक्षक

कॉलम 12.1 आयु में छूट प्राप्त करने के लिए कोड

परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 4 ख देखें

कॉलम 14 : अभ्यर्थी सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुसलमान(मुस्लिम), ईसाई, सिख, बौद्ध या जोरास्ट्रियन (पारसी) से है तो यथा इंगित करें ।

कॉलम 15 : डिग्री अथवा समकक्ष से आगे की शैक्षिक योग्यता : कोडों के लिए अनुबंध-X देखें । किसी अन्य योग्यता के लिए 'अन्य'(कोड संख्या 35) का प्रयोग करें ।

विषय कोड : कोडों के लिए अनुबंध-xi देखें । अन्य विषयों के लिए 'अन्य' (कोड नं.48) का प्रयोग करें । यदि अंक उपलब्ध नहीं है (कुछ विश्वविद्यालय ग्रेडों का प्रयोग करते हैं) समकक्ष अंक भरे जा सकते हैं अथवा अंकों के कॉलम को खाली छोड़ा जाए ।

कॉलम 17 : पत्रव्यवहार के लिए पता

अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अथवा हिन्दी में अपने नाम सहित पत्रव्यवहार का पूरा पता नीले/ काले बॉल पेन से लिखें । खाने में छह अंकों का पिन लिखना न भूलें । सभी पत्राचार इसी पते पर ही किए जाएंगे ।

कॉलम 17.1 : आकस्मिक स्थिति में अभ्यर्थियों से पत्राचार करने के लिए ई-मेल आई डी/ मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है । इन विवरणों को भेजना अभ्यर्थी के हित में है ।

कॉलम 18 : फोटोग्राफ

अपने 4 सें.मी. X 5 सें.मी. आकार का हाल ही का फोटोग्राफ चिपकाएं । फोटो पर हस्ताक्षर न करें अथवा फोटो को स्टैपल न करें और न ही अनुप्रमाणित करवाएं । कृपया नोट करें कि फोटोग्राफ के बिना अथवा मुड़े/बिगड़े फोटो होने पर आपका आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

कॉलम 19 : अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कृपया हस्ताक्षर करें । अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आपके आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

20 अभ्यर्थी अनुक्रमांक के लिए आवेदन पत्र में खाने को खाली छोड़ दें ।

अनुबंध-।।ख

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार उपलब्ध रहेंगे

भाग-I पंजीकरण : 26-04-2015 को सायं 5-00 बजे तक

भाग-II पंजीकरण : 28-04-2015 को सायं 5-00 बजे तक

2. वेबसाइट http.//ssconline.nic.in अथवा http://ssconline2.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं । अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले इस विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए । ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए । अनिवार्य क्षेत्रों को *(तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है । ऑनलाइन फॉर्म निम्नलिखित दो भागों में भरे जाएंगे :

भाग-। पंजीकरण

भाग-।। पंजीकरण

3. भाग -। पंजीकरण में अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी । विवरण भरने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा ।

4. घोषणा करने के बाद जब अभ्यर्थी यह देखें कि उसके द्वारा दी गई सूचना क्रम में है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो वह "मै सहमत हूँ" का बटन दबा सकता है । उसके बाद किसी सुधार/संशोधन आदि की अनुमति नहीं होगी ।

5. उसके बाद पंजीकरण सं. वाला पेज तैयार हो जाएगा । अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा उस पेज का प्रिंट आऊट निकाल लें । भाग-।। पंजीकरण के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है। भाग ।। पंजीकरण में भुगतान संबंधी विवरण भरना, फोटोग्राफ और स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है । अभ्यर्थी नोट कर लें कि आयोग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और बैंक की कार्य-संव्यवहार,आईडी को संगत स्थानों में समुचित रुप से दर्ज किया जाना चाहिए, जिसके बिना इसे भाग-। पंजीकरण के साथ संबद्ध करना संभव नहीं होगा । ऑनलाइन आवेदन केवल तभी पूरा होगा यदि अनुदेशों के अनुसार स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड कर दिए गए हैं ।

6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करना है वे नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से नकद ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं ।

7. शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी भाग-। पंजीकरण को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार किए गए चालान का प्रिंट ले सकता है । यह आवश्यक शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और इसके पश्चात भाग-।। पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ करें।

8. भा. स्टेट बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के इच्छुक अभ्यर्थी भाग-। पूरा करने के बाद सीधे भाग ।। में जा सकते हैं । अभ्यर्थी को भाग ।। पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि उपलब्ध करानी होगी ।

9. जिन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे 6 से 8 चरण को छोड़ सकते हैं ।

10. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फोर्मेट में हाल में खींचा व स्कैन किया गया फोटो अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 12 के. बी. से अधिक और 4 के.बी. से कम तथा 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए ।

11. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फोर्मेट में अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से अधिक और 1 के. बी.से कम और 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए ।

12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक अनुदेशों को पढ़ लें ।

13. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । कर्मचारी चयन आयोग आवेदन पत्र में भरे गए किसी विवरण में किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन की अस्वीकार्यता से उत्पन्न किन्हीं भी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा , चाहे उसका कोई भी कारण हो।

<u>**अनुबंध-III**</u>

<u>आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 4 (ख) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ__________________ रू. के वेतनमान में ____________ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं।

उनके उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2014 एवं/अथवा साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर___________________

नाम ___________________

कार्यालय की मुहर _______________

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी-।।। देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार .... (नंबर) ....(रैंक) ....(नाम)..(दिनांक)................................को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान: (कमान अफसर के हस्ताक्षर)

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

अनुबंध - V

विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी ।।। के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/1/2014-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14.8.2014 के अलावा यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता हूं :

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ____________________

ख) कार्यमुक्ति की तिथि ____________________

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि ____________________

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर __________________

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान

दिनांक :

परिशिष्ट - VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*…………………… …….. ….. .. . … …

पुत्र/पुत्री…………………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा* …………………..

जिला/संभाग*…………………………..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*……………….के ………………..

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950………………………………………
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*……………………………………
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950………………………………………
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*……………………………………
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956……………………….
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम/कस्बा*............................ जिला/संभाग*..............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... .जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो.. दिनांक ....द्वारा जारी...राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी............................ और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*...................... जिला/संभाग*................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..................................में रहता है ।

हस्ताक्षर.......................

**पदनाम....................
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान.................
दिनांक................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

<u>टिप्पणी:-</u> यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यत: रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-VII

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ....पुत्र/पुत्री .... ग्राम .... जिला/संभाग ....राज्य .... समुदाय से संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं............................. दिनांक..................* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
श्री/श्रीमती/कुO .... तथा/या उनका परिवार सामान्यत:.......... .... राज्य के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08. 09. 1993** के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनूसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश.............................
या उपायुक्त आदि....................

दिनांक:
मुहर:

- प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध - VIII

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा -10 (क)/10(ख) के नीचे टिप्पणी देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --
----पुत्र श्री--
-----------------ग्राम--
--------------------------तहसील/तालुका--जिला---------------
-----------------------------राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* उपर्युक्त समस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए -----------------------------------(गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) माने जाते हैं ।

* वह हिमाचल प्रदेश/लेह एवं लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

* वह अनुसूचित जनजाति के हैं ।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें ।

अनुबंध -IX

विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 4 (ख) देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या---------------------------रैंक --------------------------------------- नाम ---जिन्हें--- के रैंक पर ---में --को----------------------------------नियुक्त किया गया था, वे --में लगातार सेवा कर रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने ---को अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हैं । वे इस समय इस यूनिट ---(यूनिट का नाम) में तैनात हैं । सेवा के दौरान उन्हें --जैसी बड़ी सजा और ------------------------------------जैसी हल्की सजा दी गई है ।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम ----------------

कार्यालय की मुहर

अनुबंध X

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
बी.ए.	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए.	34
अन्य	35

अनुबंध-XI

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्टूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37

असमी	**38**
बंगाली	**39**
मलयालम	**40**
तेलगु	**41**
कन्नड	**42**
तमिल	**43**
मराठी	**44**
गुजराती	**45**
उर्दू	**46**
संस्कृत	**47**
अन्य	**48**